

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पच्चीस'

प्रश्न सं. [क. 7360]

श्री 22-11-2014
[30/3/2016]
क

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

क्रमांक 2292/21-ब(दो)

भोपाल, दिनांक 26/11/2014.

प्रति,

समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला-----, म.प्र.

विषय:-माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक ए-2482 पक्षकारों के बैठने के स्थानों के विद्युत देयकों के संबंध में ।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संलग्न आदेश के प्रकाश में यह अनुशांसा की जाती है कि विद्युत बिलों के भुगतान के संबंध में आवंटित की गई राशि का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.4.14 के अनुसार न्यायालय परिसर में पक्षकारों के बैठने के स्थान को चिह्नित करते हुए मात्र उक्त स्थल के विद्युत बिलों का भुगतान किया जाये ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

Revised
26.11.2014

(परितोष तिवारी)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

(परितोष तिवारी)
उप सचिव